भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1624

(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

एफएम रेडियो स्टेशन

1624. श्री जुगल किशोरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितने एफएम स्टेशन, आकाशवाणी और निजी एफएम रेडियो स्टेशन संचालित हैं;

(ख) क्या सरकार का उक्त क्षेत्र में निजी कंपनियों को नए लाइसेंस जारी करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों में जम्मू-कश्मीर सहित देश में कितने और एफएम रेडियो चैनल शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त चैनलों को कोई रियायत देने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (च): वर्तमान में देश में 585 आकाशवाणी एफएम स्टेशन और 388 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं। इन स्टेशनों की राज्यवार सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

28 अगस्त 2024 को, सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के 3 चैनलों सहित 234 नए शहरों जहां एफएम की पहुंच नहीं है, में 730 निजी एफएम चैनलों की ई-नीलामी को अनुमोदित किया है। इन चैनलों का आरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइज) सहित राज्यवार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

234 नए शहरों जहां एफएम की पहुंच नहीं है, में एफएम चैनलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क, जीएसटी को छोड़कर, सकल राजस्व का 4% लिया जाएगा। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों में अनुमति धारकों से चैनल के संचालन की तिथि से तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए, जीएसटी को छोड़कर, सकल राजस्व का 2% शुल्क लिया जाएगा।

*****